

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 31/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीमती मीरादेवी पत्नि श्री वेलाराम जाति रावल निवासी नई धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		1. ग्राम पंचायत धनारी जरिए सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत धनारी। 2. विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

रिव्यू प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राज. पंचायतीराज अधिनियम, 1994

उपस्थिति:-

1. श्री रामकरण वैष्णव अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री दलपतराज परमार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 10.02.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97(3) के तहत इस न्यायालय के पंचायत निगरानी मुकदमा संख्या 214/2012 में पारित आदेश दिनांक 02.09.2013 पर पुनर्विचार करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार द्वारा जरिये वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब पेश किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री रामकरण वैष्णव द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि दिनांक 02.09.2013 को पारित निर्णय में त्रुटि की गई है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थिया ग्राम पंचायत धनारी की स्थाई निवासी है, जो पूर्वजों के समय से ही निवासरत है एवं ग्राम पंचायत धनारी द्वारा प्रार्थिया स्वयं के नाम से एक आवासीय भूखण्ड आबादी भूमि का विक्रय विलेख संख्या 6496 बुक संख्या 130 मिसल संख्या 116/2007 दायर दिनांक 03.08.2007 की अनुपालना में विक्रय विलेख निष्पादन दिनांक 27.11.2009 को ग्राम पंचायत धनारी के द्वारा जारी किया हुआ है, जिस पर वर्तमान समय तक कब्जा प्रार्थिया का स्थित है एवं उक्त भूखण्ड पर पूर्व में केलुपोश का मकान व बाउण्ड्री वॉल की हुई थी। यह कि वर्ष 2020 में प्रार्थीगण ने केलुपोश मकान जो जर्जर अवस्था में था, उसे हटाकर उसके स्थान पर नए रूप से निर्माण कार्य करने हेतु जर्जर मकान को हटाया एवं ग्राम पंचायत धनारी में लिखित में प्रार्थना पत्र वास्ते अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्माण बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो ग्राम पंचायत ने एनओसी देने से इंकार कर दिया। तब पता करने पर प्रार्थिया को मालूम हुआ कि प्रार्थिया के नाम से अप्रार्थी संख्या एक ने जो पट्टा जारी किया था, वह माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। यह कि प्रार्थीगण को पट्टा खारिज होने की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात सिरोही में स्थित अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया, तो उनके द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थिया के भूखण्ड का पट्टा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.09.2013 को खारिज किया जा चुका है एवं आदेश की प्रति प्रार्थिया को डाक के माध्यम से



बल्लू
जिला कलक्टर, सिरोही

भिजवा दी गई है, परन्तु उक्त आदेश की प्रति प्रार्थिया को उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थिया को उक्त निर्णय का मालूम नहीं हो पाया। यह कि प्रार्थिया को उक्त आदेश का पता चलते ही अविलम्ब ही यह रिब्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यह कि प्रार्थिया का उक्त भूखण्ड पर कब्जा व स्वामित्व निरन्तर व निर्बाध रूप से चला आ रहा है एवं पंचायत द्वारा राशि प्राप्त कर आपसी बातचीत द्वारा पंचायत राज नियम 1996 के तहत राशि भरकर राजकोष में जमा करवाकर पट्टा अपने नाम से जारी करवाया था फिर भी अगर पंचायत को कोई हानि या राजकोष पर कोई प्रभाव पड़ा हो तो प्रार्थिया राशि जमा करवाने हेतु नियमानुसार तैयार है। यह कि प्रार्थिया का मौके पर लगभग 55 वर्ष से कब्जा आधिपत्य है, जिससे यह साबित होता है कि प्रार्थिया का मौके पर कब्जा पुराना है। अतः न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों को गौर नहीं करते हुए विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर निगरानी संख्या 214/2012 को पुनर्विलोकन कर प्रार्थिया के हक हिस्से को सुरक्षित रखते हुए अप्रार्थी संख्या एक द्वारा दिनांक 27.11.2009 को जारी पट्टे को विधिवत कायम रखा जाने के आदेश प्रदान करावें।


अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिया का उक्त भूखण्ड पर कब्जा आधिपत्य आज भी स्थित है एवं पंचायत द्वारा पूर्व में कब्जा होने से आपसी बातचीत द्वारा पट्टा विलेख भी जारी किया जा चुका है, वर्तमान में भी कब्जा प्रार्थिया का ही स्थित है, जिस पर प्रार्थिया ने पूर्व में बाउन्ड्री वॉल का निर्माण कार्य किया था एवं मौके पर भी बाउन्ड्री वॉल बनी हुई है। पूर्व में केलुपोश का मकान था जो जर्जर अवस्था में होने से प्रार्थिया द्वारा हटाकर नए रूप से निर्माण कार्य की स्वीकृति चाही गई थी, परन्तु उक्त पट्टा माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने से निर्माण स्वीकृति जारी नहीं की गई। यह कि प्रार्थिया को राजकोष में रूपए जमा कर पट्टा विलेख जारी किया था एवं वर्तमान में नियमानुसार माननीय न्यायालय द्वारा पट्टा विलेख हेतु या नियमन हेतु आदेशित किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या एक को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि पूर्व से ही कब्जा होने के कारण उक्त भूमि का आपसी बातचीत द्वारा पट्टा विलेख जारी किया जा चुका था एवं वर्तमान में भी प्रार्थिया का कब्जा अधिपत्य पंचायत की जानकारी में चला आ रहा है। केवल मात्र राजनैतिक विरोधाभास होने के कारण पूर्व में निगरानी पेश करवाकर श्री मोहनलाल द्वारा स्वयं के नाम से पट्टा जारी करवाकर कब्जा कर सके जिस कारण उक्त कार्य किया गया था।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क एवं पत्रावली का भलिभौति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 214/2012 में दिनांक 02.09.2013 को गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया था, जिसकी प्रार्थिया को पूर्ण जानकारी थी एवं प्रार्थिया की ओर से अधिवक्ता भी नियुक्त किया गया था। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.09.2013 को निर्णय पारित करते समय पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, जिससे प्रार्थिया का उक्त विवादित भूखण्ड पर मकान बना हुआ होना साबित होता हो एवं

जिला मजिस्ट्रेट, तिरौही

न ही उनके अधिवक्ता द्वारा ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 02.09.2013 को निर्णय पारित करते समय प्रार्थिया को पूर्ण सुनवाई का अवसर एवं दस्तावेज प्रस्तुत का अवसर दिया गया था। चूंकि प्रार्थिया द्वारा यह रिब्यू प्रार्थना पत्र धारा 97(3) के तहत प्रस्तुत किया गया है। मूल निर्णय में कोई भूल अथवा त्रुटि जो पत्रावली के देखने मात्र से प्रकट हो, को ही रिब्यू के माध्यम से सुधारा जा सकता है। अपील की भांति नही सुना जा सकता है एवं न ही नए दस्तावेजों को शामिल किया जा सकता है। अतः इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित मूल निर्णय में कोई भूल होना नही पाया जाता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.वी. सिविल रिब्यू पीटीसन नम्बर 122 से 125/1998 राजस्थान सरकार बनाम मैसर्स भारती कन्सट्रक्सन में यह अभिमत किया गया है कि **"Civil Procedure Code, 1908-Sec. 114 & O.47,R. 1- Scope of review ? Order made on account of some mistake or error apparent on the face of the record are significant- The Court will not act as an appellate Court to hear such a pet ition or will re- appreciate the argument.,,** उक्त विधिक दृष्टिांत की सम्मान पूर्वक पालना करते हुए प्रार्थी का रिब्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



P. S. 110
(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरौही